

प्रशुल्क अधिमान्यताओं की वैश्विक प्रणाली

विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमान्यता (जी एस टी पी) की वैश्विक प्रणाली पर समझौता पर संक्षिप्त नोट

I. प्रस्तावना

1. विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमान्यता (जी एस टी पी) की वैश्विक प्रणाली पर 48 विकासशील देशों द्वारा, जो कि समूह 77 के सदस्य थे, वर्ष 1988 में समझौता किया गया।
2. जी एसटीपी के घोषित उद्देश्य हैं:
क) आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और बनाए रखना, और

ख) विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विकसित करना (समूह 77 के सदस्य)।

II. मूल स्थान के नियम

- 1 इन नियमों का उद्देश्य जी एस टी पी के तहत अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पादों का मूल निर्धारित करना है। 'भारत में उद्भव' दर्जा हासिल किए उत्पाद भागीदार देशों में आयात करने पर अधिमान्य प्रशुल्क के लिए पात्र हैं।
- 2 अगर निम्नलिखित उत्पाद एक भागीदार देश के लिए सीधे परेषित किए जाते हैं तो उन्हें भारत में उद्भव के रूप में माना जाता है।
क) जैसा कि नीचे 4 में परिभाषित किया है, उत्पाद जो पूरी तरह से भारत में प्राप्त किए जाते हैं।
ख) जो नीचे 4 में निर्दिष्ट उत्पादों के अलावा विनिर्माण में भारत में प्राप्त उत्पाद, भागीदार देशों में उद्भूत सामग्रियाँ और गैर - भागीदार देशों से आयातित उत्पाद और / या अनिर्धारित मूल के उत्पाद का भी उपयोग किया जाता है बशर्ते कि नीचे 5 पर विस्तृत शर्त के अधीन गैर - भागीदार देशों से आयातित उत्पाद का मूल्य और / या अनिर्धारित मूल के उत्पाद के एफओबी मूल्य के 50% से अधिक नहीं है।
- 3 2 (ख) के प्रयोजन के लिए, गैर उद्भव सामग्रियों के मूल्य का मतलब है ऐसी सामग्रियों के आयात के समय का सी.आई.एफ. मूल्य, या अगर यह ज्ञात नहीं है और अभिनिश्चित और साबित नहीं जा सकता है, भारत में उत्पाद के लिए पहले निश्चित मूल्य का भुगतान।
- 4 (क) ऊपर 2 के अंतर्गत, निम्नलिखित पूरी तरह से भारत में प्राप्त के रूप में माना जाता है।

- क) अपनी धरती, अपने पानी या इसकी समुद्र तल से निकाले गए कच्चे या खनिज उत्पाद¹ ;
- ख) वहाँ फसल काटे कृषि उत्पाद² ;
- ग) वहाँ जन्मे और उभरे पशु;
- घ) उपरोक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट पशुओं से प्राप्त उत्पाद;
- ङ) वहाँ आयोजित शिकार या मत्स्यन द्वारा प्राप्त उत्पाद;
- च) समुद्री मत्स्यन के उत्पादों तथा अपने जहाजों^{3,4} द्वारा गहरे समुद्र से लिए अन्य समुद्री उत्पाद;
- छ) प्रसंस्कृत और / या अपनी फैक्टरी जहाजों^{4,5} के बोर्ड पर बनाए उत्पादों विशेष रूप से ऊपर खंड (च) में निर्दिष्ट उत्पाद;
- ज) वहाँ एकत्रित प्रयुक्त सामग्रियाँ , केवल कच्चे माल की पुनः प्राप्ति के लिए लायक ;
- झ) वहाँ आयोजित निर्माण कार्यों से उत्पन्न बेकार और रद्दी सामान ;
- ञ) वहाँ उत्पादित पदार्थ विशेष रूप से खंड (क) से (झ) तक निर्दिष्ट उत्पादों से
- 5 उत्पाद जो ऊपर 2 में प्रदान की गई मूल आवश्यकताओं के अनुपालन किए गए हो तथा और जो आदान के रूप में एक प्रतिभागी द्वारा उपयोग किए हो, दूसरे एक भागीदार द्वारा अधिमान्य के लिए योग्य एक तैयार उत्पाद के भागीदार के क्षेत्र में, जहां तैयार उत्पाद के कार्यचालन या प्रसंस्करण हो गए हैं, उत्पन्न एक उत्पाद के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि भागीदार के क्षेत्र में उद्भूत कुल सामग्री उसके एफओबी मूल्य⁶ के 60 प्रतिशत से कम नहीं है ।
- 6 निम्नलिखित आयात करने वाले देश के लिए सीधे भारत से परेषित को माना जाता है।
- क. किसी भी गैर - भागीदार देश के क्षेत्र के माध्यम से पारित किए बिना उत्पादों का परिवहन किए जाते तो।
- ख. इस तरह के देशों में उत्पाद, जिसके परिवहन में पारगमन शामिल है, एक या एक से अधिक गैर - भागीदार देशों के माध्यम से या यानांतरण या अस्थायी भंडारण के साथ या के बिना; बशर्ते कि ;
- (i) पारगमन प्रवेश भौगोलिक कारण से या संबंधित विशेष रूप से परिवहन आवश्यकताओं के कारणों से जायज़ है;
- (ii) उत्पाद वहाँ के व्यापार या उपभोग में दर्ज नहीं किया गया है ; तथा
- (iii) उत्पाद , उतराई और पुनः लोड या किसी भी प्रचालन उन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए जरूरी है, के अलावा वहाँ के प्रचालन के अधीन नहीं आया है ।
7. जब उत्पादों की उत्पत्ति का निर्धारण करते हैं, पूरे पैकिंग फार्म ,जिसमें उत्पाद निहित है ।
- V. **जी एस टी पी के तहत प्रतिभागी देश**
- जीएसटीपी वर्तमान में 43 अधिमान देने वाले देशों द्वारा बढ़ाया गया है।

--	--

अल्जीरिया	मेक्सिको
अंगोला	मराक्को
अर्जेंटीना	मोजाम्बिक
बांग्लादेश	निकारागुआ
बेनिन	नाइजीरिया
बोलीविया	पाकिस्तान
ब्राज़िल	पेरू
कैमरून	फ़िलीपीन्स
चिली	कतर
कोलम्बिया	कोरिया गणराज्य
क्यूबा	रोमानिया
कोरिया प्रजातांत्रिक जनवादी गणराज्य	सिंगापुर
इक्वेडोर	श्रीलंका
मिस्र	सूडान
घाना	थाईलैंड
गिन्नी	त्रिनिदाद और टोबैगो
गुयाना	ट्यूनीशिया
हैती	तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य
भारत	उरुग्वे
इंडोनेशिया	वेनेजुएला
ईरान (ईरान (इस्लामी गणराज्य)	वियतनाम
इराक	यूगोस्लाविया
लीबिया का अरब जमहिरिया	ज़ैरे
मलेशिया	ज़िम्बाब्वे

VI. उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण

वर्तमान में निम्नलिखित संगठनों को जी एस टी पी के तहत मूल के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है

क्र.	संगठन	पण्य पदार्थ
	पूरे भारत में कार्यालयों के साथ निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के नाम से जाने जाते उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निर्यात निरीक्षण परिषद	सारे उत्पाद
	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद

VII. शुल्क संरचना और भुगतान का प्रकार

खाली फार्म की बिक्री की कीमत : रु. 25/- प्रति सेट/प्रपत्र

प्रमाणीकरण शुल्क : रु.350/- प्रति सेट / प्रपत्र (प्रत्यक्ष सत्यापन के बिना)

- खाली फार्म, प्रमाणीकरण शुल्क और प्रत्यक्ष सत्यापन की कीमत का भुगतान अभिकरण कार्यालय के साथ खुला एक जमा खाता के माध्यम से अभिकरण के पक्ष में आहरित और तारीख पर कम से कम 3 महीने के लिए वैध या तो एक बैंकेर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम किया जा सकता है।
- एक निर्यातक द्वारा रु.1,000 /-की प्रारंभिक राशि का भुगतान करके समय-समय पर मांगे जा रहे प्रमाण पत्र की मात्रा के आधार रुपये 500 /- के गुणकों में आगे की राशि जमा करते हुए सम्बंधित अभिकरण / उप कार्यालय के साथ जमा खाता खोला जा सकता है। जमा खाता खोलने के लिए प्रारंभिक राशि का भुगतान तथा आगे की राशि सम्बंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण के पक्ष में आहरणीय और तारीख पर कम से कम तीन महीने के लिए वैध स्थानीय चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। जमा खाते के संचालन के लिए, एक पासबुक सम्बंधित अभिकरण / उप-कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

- 1 खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ ही खनिज या धातु अयस्क भी शामिल है
- 2 वानिकी उत्पाद शामिल हैं
- 3 "जहाज़" का उल्लेख विधिवत भारत में पंजीकृत और भारतीय नागरिक (नागरिकों) या सरकार या साझेदारी, निगम या संघ, द्वारा संचालित वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे मत्स्यन जहाजों के लिये करेगा, जिनमें से कम से कम 60 प्रतिशत इक्विटी नागरिक या नागरिकों और / या भारत सरकार या 75% भागीदार के नागरिकों या सरकारों के स्वामित्व में हो। हालांकि, द्विपक्षीय समझौते के तहत वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे हुए जहाजों, जो इस तरह के जहाजों के चार्टरिंग / पट्टे पर लेने के लिए उपलब्ध कराते हैं, और / या भागीदारों के बीच की साझेदारी से प्राप्त उत्पाद भी अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- 4 सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित जहाजों या फैक्टरी जहाजों के संबंध में, एक विशेष भागीदार का झंडा उड़ने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- 5 जी एस टी पी के प्रयोजन के लिए, शब्द "फैक्टरी जहाज" किसी भी पोत, जैसे परिभाषित किया गया है, और / या बोर्ड पर बना रहे उत्पादों विशेष रूप से खंड 4 (च) में निर्दिष्ट उन उत्पादों के प्रसंस्करण लिए इस्तेमाल करने से तात्पर्य है।
- 6 ऊपर 5 में निहित "आंशिक" संचयन का अर्थ यह है कि केवल वही उत्पाद, जो एक भागीदार के क्षेत्र में, मूल स्थान का अधिग्रहण किया है, जब किसी दूसरे भागीदार के क्षेत्र में अधिमान्य के लिए योग्य एक तैयार उत्पाद के लिए आदानों के रूप में उपयोग किया जाता है, को ध्यान में रखा जा सकता है।

अध्याय -I

प्रस्तावना

अनुच्छेद -1

इस समझौते के प्रयोजन के लिए परिभाषाएँ

- ड. "गंभीर क्षति का मतलब है" घरेलू उत्पादकों लिए महत्वपूर्ण क्षति, अधिमान्य आयात पैठ की पर्याप्त वृद्धि से उत्पन्न जैसे या समान उत्पाद जो अल्पावधि में अस्थिर आय, उत्पादन या रोजगार के मामले में काफी नुकसान का कारण बनता है। संबंधित घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में उस उत्पाद की घरेलू उद्योग की स्थिति और सूचकांक को प्रभावित करने वाले अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का मूल्यांकन भी शामिल होंगे।

- च. "गंभीर क्षति का खतरा" का अर्थ एक ऐसी स्थिति, जिसमें अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि घरेलू उत्पादकों को 'गंभीर क्षति' पैदा करने का कारण बन जाता है, और इस तरह की क्षति, हालांकि अभी तक मौजूदा नहीं, स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाएगा और न मात्र आरोप, अनुमान, या दूरस्थ या काल्पनिक संभावना पर।
- छ.) "गंभीर क्षति की परिस्थितियों" का मतलब है एक असाधारण स्थिति के उद्भव जहां बड़े पैमाने पर अधिमान्य पैदा करने या धमकी का कारण बन जाता है या मरम्मत के लिए मुश्किल 'गंभीर क्षति' के कारण की धमकी और जो तत्काल कार्रवाई माँगता है "
- ज.) "क्षेत्रीय समझौतों" का अर्थ टैरिफ, गैर प्रशुल्क और पैरा-शुल्क अवरोधों के साथ ही साथ अन्य व्यापार संवर्धन या सहकारी उपायों की छूट को हटाने के बारे में निर्दिष्ट उत्पादों या उत्पादों के समूह के लिए अंत का उपयोग करने में या उत्पादन में निकटतम संबंध के बारे में प्रतिभागियों के बीच समझौते से है ।
- झ.) "प्रत्यक्ष व्यापार उपायों " का मतलब है वापस खरीदने की व्यवस्था, राज्य व्यापार संचालन, और सरकार और सार्वजनिक खरीद के संबंध में ऐसी लंबी और मध्यम अवधि के अनुबंध के रूप में विशिष्ट उत्पादों, आयात और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं युक्त प्रतिभागियों की आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल उपाय ।
- ञ.) "प्रत्यक्ष व्यापार उपायों का मतलब है" विशिष्ट उत्पादों, वापस खरीदने की व्यवस्था, राज्य व्यापार संचालन, और सरकार और सार्वजनिक खरीद के संबंध में आयात और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं युक्त ऐसी लंबी और मध्यम अवधि के अनुबंध के रूप में प्रतिभागियों की आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल उपाय ।
- ट.) "प्रशुल्क" का अर्थ है भागीदारों की राष्ट्रीय टैरिफ अनुसूचियों में निर्धारित की गई सीमा शुल्क ।
- ठ.) "गैर-टैरिफ" का अर्थ "टैरिफ" और "पैरा टैरिफ" के अलावा अन्य किसी भी उपाय, विनियमन या अभ्यास है, जो आयात को प्रतिबंधित, या व्यापार को बिगाड़ने के लिए काफी प्रभावित ।
- ड.) "पैरा-टैरिफ" का अर्थ विदेश व्यापार लेनदेन पर एक टैरिफ के समान प्रभाव के "प्रशुल्क" के अलावा अन्य, बॉर्डर प्रभार और शुल्क, बल्कि उन अप्रत्यक्ष कर और शुल्क नहीं, जो घरेलू उत्पादों के विपरीत एक ही तरीके से लगाया जाता है। प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के अनुरूप आयात प्रशुल्क को पैरा-शुल्क उपायों के रूप में नहीं माना जाता है।

अध्याय -II

व्यापार अधिमान्यताओं की वैश्विक प्रणाली

अनुच्छेद -2

जी एस टी पी की स्थापना और उद्देश्य

वर्तमान समझौते के अनुसार, भागीदार आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और आर्थिक सहयोग के विकास के लिये रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से विकासशील देशों के बीच, जीएसटीपी को स्थापित करते हैं।

अनुच्छेद -3

सिद्धांत

जी एस टी पी निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार स्थापित की जाएगी :

- क. जी एस टी पी 77 के समूह के सदस्य देशों के विकास की विशेष भागीदारी के लिए आरक्षित की जाएगी;
- ख. जी एस टी पी के लाभ 77 के समूह के विकासशील सदस्य देशों, जो अनुच्छेद 1(क) के अनुसार प्रतिभागी होते हैं, को प्राप्त होंगे ;
- ग. जी एस टी पी इस तरह फायदे की पारस्परिकता के सिद्धांत पर सभी प्रतिभागियों को समान लाभ के लिए , आर्थिक और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर अपने बाहरी व्यापार और अपनी व्यापार नीतियों और प्रणालियों की पद्धति के आधार पर लागू किया जाएगा;

- घ. जी एस टी पी बातचीत के जरिए कदम से कदम, सुधार और क्रमिक चरणों में समय-समय पर समीक्षा के साथ विस्तारित किया जाएगा;
- ङ जी एस टी पी नहीं बदलेगा, बल्कि 77 के समूह के, विकासशील देशों के वर्तमान और भविष्य के उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक समूहों को अनुपूरित करने और मजबूत बनाने, और इस तरह के आर्थिक समूह के सरोकारों और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में लिया जाएगा;
- च. अल्प विकसित देशों की विशेष जरूरतें स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी और अधिमानी पर इन देशों के पक्ष में ठोस उपायों पर सहमत होना चाहिए; एक पारस्परिक आधार पर रियायतें बनाने के लिए अल्प विकसित देशों की आवश्यकता नहीं होगी;
- छ. जी एस टी पी, सभी उत्पादों, प्रसंस्कृत और अर्द्ध प्रसंस्कृत रूपों में विनिर्माण और उनके कच्चे में पदार्थों को शामिल करेगा;
- ज. 77 के समूह के विकासशील देशों के सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए अंतर-सरकारी उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूह पूरी तरह से, यदि और जब वे यह वांछनीय के रूप में विचार करने पर जी एस टी पी के काम के किसी भी या सभी चरणों में इस तरह भागीदार होंगे;
- झ. "गैर-टैरिफ" का अर्थ "टैरिफ" और "पैरा टैरिफ" के अलावा अन्य, किसी भी उपाय, विनियमन, या अभ्यास, जिसका प्रभाव आयात को प्रतिबंधित करने के लिए है, या काफी व्यापार को बिगाड़ने के लिए।

• प्रस्तावना

इस समझौते के लिए राज्यीय दल।The State Parties to this Agreement.

यह मानते हुए कि विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता की कार्यनीति में एक प्रमुख तत्व है और एक आवश्यक साधन संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने के एक संतुलित योगदान के लिए वैश्विक आर्थिक विकास की प्रक्रिया और न्यायसंगत और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना; यह भी स्वीकार करते हैं कि व्यापार प्राथमिकता का ग्लोबल सिस्टम (बाद में "जी एस टी पी" कहा जाता है) के विकासशील देशों के सदस्यों के बीच व्यापार के संवर्धन के लिए एक प्रमुख साधन का गठन होगा, 77 के समूह, तथा इन देशों के उत्पादन और रोजगार की वृद्धि हुई है।

सामूहिक आत्मनिर्भरता के अरुणा कार्यक्रम, जी एस टी पी पर 1982 में न्यूयॉर्क में 1985 में जी एस टी पी पर और नई दिल्ली में 1986 में मंत्रिस्तरीय बैठकों ब्रासीलिया और 1988 में बेलग्रेड में; 77 के समूह के विदेश मामलों के मंत्रियों द्वारा स्वीकार की गई कार्रवाई के कराकास कार्यक्रम और घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वास है कि जी एस टी पी की स्थापना को दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक प्रमुख साधन के रूप में, सामूहिक आत्मनिर्भरता के संवर्धन के रूप में कुल मिलाकर विश्व व्यापार को मजबूत बनाने के रूप में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए; निम्न प्रकार सहमति व्यक्त की है:

अध्याय -I परिचय

अनुच्छेद -1

इस समझौते के प्रयोजन के लिए परिभाषाएँ:

क. "भागीदार" का अर्थ है :

- i. अनुबंध I में सूचीबद्ध 77 में से समूह के किसी भी सदस्य जो रियायतों का प्रतिदान करता है और उसके अनुच्छेद 25, 27 या 28 के अनुसार इस समझौते की पार्टी बन गई है।
- ii. अनुबंध I में सूचीबद्ध 77 समूह के सदस्य उसके अनुच्छेद 25, 27 या 28 के अनुसार किसी भी उप-क्षेत्रीय /क्षेत्रीय / अंतर-क्षेत्रीय विकासशील देशों के समूह जो रियायतें प्रतिदान करता है और इस समझौते के लिए पार्टी बन गई है;

- ख. "अल्पविकसित देश" का अर्थ एक देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के रूप में नामित;
- ग. "राज्य" या "देश" का मतलब है 77 के समूह के किसी भी राज्य या देश के किसी सदस्य ।
- घ. "घरेलू उत्पादन" का मतलब है एक भागीदार के क्षेत्र में स्थापित भौतिक या न्यायिक शक्तियुत जो उस क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि, खनन या खनन उत्पादों सहित, उनके कच्चे, अर्द्ध प्रसंस्कृत या प्रसंस्कृत रूपों में पण्यों के उत्पादन में लगे हुए हैं और विनिर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा, "गंभीर क्षति " या "गंभीर क्षति के खतरे" के निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, "घरेलू उत्पादक" शब्द जैसे या इसी तरह के उत्पादों, या उनमें से उन उत्पादों के जिनके सामूहिक उत्पादन के गठन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक मुख्य अनुपात।

अध्याय- II

व्यापार अधिमान्यता की वैश्विक प्रणाली

अनुच्छेद -4

जी एस टी पी के घटक

अन्य बातों के साथ जी एस टी पी में निम्नलिखित घटक भी शामिल हो सकते हैं :

- क. प्रशुल्क से संबंधित व्यवस्थाएं a. arrangements relating to tariffs;
- ख. पैरा-टैरिफ से संबंधित व्यवस्थाएं;
- ग. गैर प्रशुल्क उपायों से संबंधित व्यवस्थाएं ;
- घ. प्रत्यक्ष व्यापार के उपायों से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ मध्यम और दीर्घकालिक अनुबंध;
- ड. क्षेत्रीय समझौतों से संबंधित व्यवस्थाएं।

अनुच्छेद -5

रियायतों की अनुसूचियाँ

प्रशुल्क , पैरा- प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क रियायतें भागीदारों के बीच बातचीत के जरिए और आदान-प्रदान रियायतों के कार्यक्रम में सन्निहित किया जाएगा , जो इस समझौते का एक अभिन्न अंग के रूप में अंत में जोड़ा जाएगा ।

अध्याय III

समझौता वार्ता

अनुच्छेद -6

समझौता वार्ता

1. भागीदार समय समय पर जीएसटीपी के और विस्तार और पूर्णतः अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से द्विपक्षीय / बहुपक्षीय / बहुपक्षीय बातचीत के दौर कर सकते हैं:
2. भागीदार किसी के साथ अनुसार या निम्न दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं के एक संयोजन में अपने बातचीत कर सकते हैं:
 - क. उत्पाद-सह-उत्पाद बातचीत के;
 - ख. बोर्ड टैरिफ में कटौती के उस पार;
 - ग. क्षेत्रगत बातचीत के;
 - घ. मध्यम और लंबी अवधि के अनुबंध सहित प्रत्यक्ष व्यापार उपायों,।

अध्याय- IV

प्रतिभागियों की समिति

अनुच्छेद -7

स्थापना और कार्य

1. इस समझौते के लागू होने पर, प्रतिभागियों की सरकारों के प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए प्रतिभागियों की एक समिति (बाद में "समिति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) गठित की जाएगी। समिति संचालन की सुविधा और इस समझौते के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेगी। समिति इस समझौते के अनुप्रयोगों और उपकरणों को इसकी रूपरेखा के भीतर अपनाई गई समीक्षा वार्ता के परिणामों के कार्यान्वयन की निगरानी, विचार-विमर्श, सिफारिशें और निर्णय लेने की आवश्यकता के लिए उत्तरदायी होगी, और सामान्य रूप में, जो कुछ भी उपाय करने के उद्देश्यों के पर्याप्त कार्यान्वयन और इस समझौते के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

क) समिति रियायतों के कार्यक्रम के विस्तार के लिए और अन्य उपायों के माध्यम से प्रतिभागियों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए आगे की बातचीत को बढ़ावा देने की संभावना है और किसी भी समय इस तरह की बातचीत के प्रायोजित कर सकते हैं, इसे समीक्षाधीन रखना होगा। समिति प्रतिभागियों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार जानकारी के शीघ्र और पूरा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगी;

ख) समिति इस समझौते के अनुच्छेद 21 के अनुसार; विवादों की समीक्षा और उस पर सिफारिश करेगी;

(ग) समिति अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन करने के लिए आवश्यक इस तरह के सहायक साधनों को स्थापित कर सकती है ;

घ) समिति इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उचित विनिर्देशों और नियमों को स्वीकृत करेगी।

2. क) समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है;

ख) किसी भी उपाय के बावजूद भी यदि एक प्रतिनिधि के अनुरोध पर इस अनुच्छेद के पैरा 2 (क) के अनुपालन में, समिति के समक्ष व्यापार के एक प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा;

ग) पदार्थ के मामलों पर और एक साधारण बहुमत कार्यविधि के मामलों पर दो-तिहाई बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

3. समिति को प्रक्रिया के अपने नियमों को अपनाना चाहिए।

4. समिति को वित्तीय नियमों और विनियमों को अपनाना होगा।

क) 77 समूह के विकासशील भागीदार देशों के सदस्यों के बीच अंतर-सरकारी उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग के लिए अंतर-क्षेत्रीय समूहों, पूरी तरह से इस तरह के रूप में, और जी एस टी पी पर काम के किसी भी या सभी चरणों में अगर जब वे यह वांछनीय मानते हैं।

अध्याय- IV

प्रतिभागियों की समिति

अनुच्छेद -8

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

समिति , परामर्श या संयुक्त राष्ट्र और उसके अंगों के साथ सहयोग के लिए, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में (यू एन सीटीडी) और संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरणों, साथ ही साथ अंतर-सरकारी, उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूहों आर्थिक सहयोग के लिए 77 के समूह के विकासशील देशों के सदस्यों के बीच जो भी व्यवस्था उपयुक्त हैं करेगी।

अध्याय -V

मूल सिद्धान्त

अनुच्छेद -9

बातचीत रियायतों का विस्तार

1. इस अनुच्छेद के खण्ड 2 और 3 में, प्रदान के सिवाय सभी टैरिफ, पैरा-टैरिफ और गैर टैरिफ रियायतें, बातचीत की और द्विपक्षीय में प्रतिभागियों के बीच आदान-प्रदान/ बहुपक्षीय वार्ता, जब पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा, जीएसटीपी वार्ता में सभी प्रतिभागियों के लिए विस्तारित किया जाएगा।
2. इस संबंध में निर्धारित नियम और दिशा निर्देशों के अधीन, प्रतिभागी दल व्यापार के उपायों, क्षेत्रीय समझौतों या गैर-शुल्क रियायतों पर समझौतों के निर्देशन के लिए तथा अन्य प्रतिभागियों के लिए इस तरह के समझौतों से जुड़े रियायतों का विस्तार नहीं करने के लिए फैसला कर सकते हैं। इस तरह के गैर विस्तार से अन्य प्रतिभागियों के व्यापार हितों पर एक हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, और जब इस तरह के एक प्रभाव पड़ता है, इस मामले पर विचार करने और निर्णय के लिए समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के समझौते प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से जी एस टी पी के सभी प्रतिभागियों के लिए खुला हो जाएगा। इस तरह के समझौतों पर वार्तालाप की शुरुआत तथा साथ ही उनके प्रावधान एक बार संपन्न होने पर समिति को सूचित किया जाएगा।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, भागीदार, विशेष रूप से अल्प विकसित भागीदार देशों से होने वाले निर्यात करने के लिए लागू टैरिफ, गैर-शुल्क और पैरा-टैरिफ रियायतें प्रदान कर सकते हैं। इस तरह की रियायतें, जब लागू होंगी, सभी अल्प विकसित भागीदार देशों के बराबर रूप से लागू होंगी। यदि एक विशेष अधिकार देने के बाद, वह अन्य प्रतिभागियों के वैध व्यापार के हित के लिए हानिकारक साबित हुई, इस मामले में इस तरह की व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति के पास लाया जा सकता है।

अध्याय- V

मूल सिद्धान्त

अनुच्छेद -10 रियायतों के मूल्य का अनुरक्षण

नियम, शर्तों या योग्यता के अधीन प्रदान की गई रियायतें युक्त अनुसूचियों में निर्धारित किया जा सकता है, इस समझौते के लागू होने के बाद, पहले से मौजूदा के सिवा अन्य, जहां इस तरह के आरोप एक जैसे घरेलू उत्पाद पर लगाए गए एक आंतरिक कर से मेल खाती है, को छोड़कर, जहां इस तरह के आरोप एक जैसे घरेलू उत्पाद पर लगाए गए एक आंतरिक टैक्स से मेल खाती है, सिवाय एक एंटी डंपिंग या प्रतिकारी ड्यूटी, और प्रदान की गई सेवाओं की लागत के अनुरूप फीस, और अनुच्छेद 13 और 14 के तहत अधिकृत किसी भी उपाय के सिवाय किसी भी आरोप के अनुप्रयोग के माध्यम से या सीमित वाणिज्य उपाय से एक प्रतिभागी को क्षीण नहीं होगी या इन रियायतों अमान्य न होगा।

अनुच्छेद -11

संशोधन और रियायतों की वापसी

1. रियायत के विस्तार के दिन से 3 वर्ष की अवधि के बाद, किसी भी भागीदार, अपने उपयुक्त अनुसूची में शामिल किसी भी रियायत को संशोधित करने या वापस लेने के अपने इरादे समिति को सूचित कर सकता है।
2. रियायत को वापस लेने या संशोधित करने के लिए इच्छुक एक प्रतिभागी को किसी भी आवश्यक और उचित क्षतिपूर्ति तक पहुँचने की दृष्टि से समझौते के लिए प्रतिभागियों के साथ, जो इस तरह की रियायत के लिए शुरू में बातचीत की थी के साथ और किसी भी अन्य प्रतिभागियों के साथ समिति द्वारा निर्धारित या पर्याप्त आपूर्ति ब्याज के लिये परामर्श और / या बातचीत में प्रवेश किया जा सकता है।

3. अधिसूचना प्राप्त होने के छह महीने के भीतर संबंधित प्रतिभागियों के बीच कोई समझौता और सूचित भागीदार अपने संशोधन के साथ आगे बढ़ना या ऐसी रियायतों की वापसी नहीं की जानी चाहिए, प्रभावित प्रतिभागी समिति द्वारा या उनके उपयुक्त अनुसूचियों में निर्धारित बराबर रियायतें वापस या इसके संशोधन कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी संशोधन या वापसी समिति को सूचित किया जाना चाहिए

अनुच्छेद -12

रियायतों की रोक या वापसी

एक प्रतिभागी किसी भी उत्पाद जिनके संबंध में उसकी अनुसूची या रियायतों में यह निर्धारित किया है कि यह शुरू में एक राज्य जो इस समझौते में एक भागीदार नहीं बन गया है, या नहीं रह गया है, के साथ बातचीत की थी किसी भी समय या पूरे या हिस्से में रोकने के लिए या वापस लेने के लिए मुक्त होगा। एक प्रतिभागी ऐसी कार्रवाई करने पर समिति को सूचित करेगा, और अनुरोध पर, संबंधित उत्पाद में पर्याप्त रुचि रखने वाले प्रतिभागियों के साथ परामर्श करेगा।

अध्याय- V

मूल सिद्धान्त

अनुच्छेद -13

रक्षा उपायों

एक भागीदार जैसे या इसी तरह के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरों से चौकसी करने के लिए, की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा, जो जी एस टी पी के तहत अधिमान्यताओं का लाभ ले रहे आयात की अप्रत्याशित पर्याप्त वृद्धि के एक प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उत्पन्न हो सकती है।

1. रक्षा उपाय निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा:

क) रक्षा उपाय जीएसटीपी के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। इन उपायों को जीएसटीपी में प्रतिभागियों के बीच एक गैर भेदभावपूर्ण फैशन में लागू किया जाना चाहिए।
ख) रक्षा उपाय इस हद तक और ऐसे समय में प्रभावित करना चाहिए कि इस तरह की क्षति को रोकने या उपाय करने के रूप में आवश्यक हो।
ग) एक सामान्य नियम के अनुसार और महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर, सभी रक्षा उपाय इच्छुक प्रतिभागियों के बीच विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। इस तरह रक्षा उपायों लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को गंभीर क्षति या खतरे में इस तरह के उपायों को न्यायोचित ठहराने के लिये समिति के अंतर्गत संबंधित पार्टियों की संतुष्टि के लिए प्रदर्शन करना अपेक्षित होगा।

2. गंभीर क्षति या क्षति के खतरे से चौकसी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार रक्षोपाय कार्रवाई की जानी चाहिए:

क) अधिसूचना: रक्षा उपाय लेने के लिए इच्छुक किसी भी प्रतिभागी को अपने इरादे समिति को सूचित करना चाहिए, और समिति इस अधिसूचना को सभी प्रतिभागियों के बीच परिचालित करेगी। ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने पर, नए प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श में प्रवेश करने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 30 दिनों के भीतर समिति को सूचित करेगा। महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जब देरी से क्षति हो सकती है, जो सुधारने के लिए मुश्किल होगा, पहले विचार-विमर्श के बिना प्रावधिक कार्रवाई ली जा सकती है, इस शर्त पर कि ऐसी कार्रवाई करने के तुरंत बाद विचार-विमर्श प्रभावित हो जाएगा।

ख) परामर्श: इच्छुक प्रतिभागियों को उठाए जाने वाले या पहले से ही ले लिए रक्षा उपायों और उसकी अवधि, और क्षतिपूर्ति या रियायतों की पुनः वार्तालाप के रूप में, प्रकृति के अनुरूप एक समझौते पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए परामर्शों में प्रवेश करना चाहिए। इन परामर्शों को मूल अधिसूचना प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इन परामर्शों को एक समझौते की ओर अग्रसर नहीं करना चाहिए ऊपर निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सभी पक्षों को संतोषजनक, इस मुद्दे के समाधान के लिए इस मामले को समिति को भेजा जाना चाहिए। अपनी डेटा भेजे जाने के चार सप्ताह के भीतर समिति इस मुद्दे को हल करने में विफल हो जाने पर पार्टियों को रक्षा कार्रवाई द्वारा जीएसटीपी के तहत के समतुल्य रियायतें या अन्य दायित्वों को वापस लेने का अधिकार है, जो कि समिति अस्वीकृत नहीं करती है।

अनुच्छेद -14

भुगतान का संतुलन उपाय

एक भागीदार जीएसटीपी के कार्यान्वयन के दौरान गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऐसे प्रतिभागी को गंभीर संतुलन के भुगतान कठिनाइयों को पूरा करने में कदम उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा।

1. किसी भी भागीदार, जो यह आवश्यक पाता है मात्रात्मक प्रतिबंध को संस्थान या तेज करने के लिए या उत्पादों के विषय में आयात को सीमित करने के अन्य उपायों या क्षेत्रों में जहां रियायतों का प्रस्ताव किया गया है, अपनी मौद्रिक भंडार में, खतरे या गिरावट को रोकने की दृष्टि से इस तरह की कठिनाइयों को रोकने या हल के लिए ऐसे करने के लिए प्रयास करेगा। जितना संभव हो, बातचीत के जरिए रियायतों का मूल्य जो एक तरह से संरक्षित रखता है।
2. इस तरह की कार्रवाई समिति को तुरंत सूचित की जाएगी जो कि सभी प्रतिभागियों को अधिसूचना परिचालित करेगी।
3. किसी भी प्रतिभागी जो किसी भी अन्य भागीदार से अनुरोध किए जाने पर, जीएसटीपी के तहत बातचीत की रियायतों की स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से परामर्शों के लिए पर्याप्त अवसर के लिये इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार कार्रवाई लेने को तैयार हो जाएगा। ऐसी अधिसूचना के तीन महीने के भीतर संबंधित प्रतिभागियों के बीच कोई संतोषजनक समायोजन प्रभावित न होने पर, इस मामले को एक समीक्षा के लिए इस समिति के सामने सौंपा जा सकता है।

अध्याय V

मूल नियम अनुच्छेद -15

उत्पत्ति स्थान के नियम

इस समझौते के साथ संलग्न रियायतों की अनुसूची में निहित उत्पाद अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र हो जाएगा अगर वे मूल के नियमों को संतुष्ट करते हैं, जो कि इस समझौते के एक अभिन्न भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा।

अनुच्छेद -16

जीएसटीपी में रुचि रखते प्रतिभागियों के बीच लंबी अवधि और मध्यम अवधि के अनुबंध की बातचीत से संबंधित कार्यविधियाँ

1. इस समझौते के ढांचे के भीतर, प्रतिभागियों के बीच आयात और निर्यात प्रतिबद्धताओं से जुड़े विशिष्ट पण्यों या उत्पादों के संबंध में लंबी अवधि और मध्यम अवधि के ठेके में प्रवेश किया जा सकता है।
2. इस तरह के ठेके की बातचीत और निष्कर्ष की सुविधा के लिए :
 - क) निर्यात के प्रतिभागियों को जिसके लिए वे आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के लिये तैयार हो, इसमें शामिल मात्रा के संकेत के साथ पण्यों या उत्पादों का संकेत देना चाहिए ;
 - ख) आयात प्रतिभागियों को पण्यों या उत्पादों का संकेत देना चाहिए जिसके लिए वे आयात प्रतिबद्धता लेने की परिकल्पना कर सके हैं और, जहां संभव हो, इसमें शामिल किए जा सके मात्रा का एक संकेत देना चाहिए; तथा
 - ग) समिति ऊपर (क) और (ख) के अधीन और लंबी अवधि और मध्यम अवधि को समाप्त ठेके के प्रयोजन के लिए निर्यात और आयात में रुचि रखते प्रतिभागियों के बीच द्विपक्षीय और / या बहुपक्षीय बातचीत करने के लिए बहुपक्षीय के जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी ।
3. संबंधित भागीदार को जितनी जल्दी हो सके लंबी और मध्यम अवधि के संविदा के निष्कर्ष समिति को सूचित करना चाहिए ।

अध्याय V

मूल सिद्धान्त

अनुच्छेद -17

अल्प विकसित देशों के लिए विशेष व्यवहार

1. जीएसटीपी पर मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसार, कम से कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगा, और इन देशों के पक्ष में ठोस अधिमान्य उपायों पर सहमति व्यक्त की जाएगी।
2. एक भागीदार बनने के लिए एक अल्पविकसित देश के लिये पारस्परिक आधार पर रियायतें बनाना अपेक्षित नहीं होगा, और ऐसे में भाग लेने वाले अल्पविकसित देश को सभी टैरिफ पैराप्रशुल्क और गैर टैरिफ रियायतें द्विपक्षीय / बहुपक्षीय बातचीत जो कि बहुपक्षीय हैं, के विस्तार से लाभ होगा।
3. अल्पविकसित देशों के भागीदार को अपने उत्पादों के निर्यात की पहचान करनी चाहिए, जिसके लिए वे अन्य प्रतिभागियों के बाजारों में रियायतें तलाश करने के लिए इच्छा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और ऐसे करने की स्थिति में अन्य प्रतिभागियों द्वारा तकनीकी सहायता, व्यापार से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के प्रावधान सहित आहूत उत्पादों और प्रमुख विकासशील आयात बाजारों में, एक साथ बाजार के रुझान और संभावनाओं और प्रतिभागियों के व्यापार व्यवस्थाओं, के साथ उन्हें इस कार्य में सहायता करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इन देशों के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
4. निर्यात उत्पादों और बाजारों के ऊपर पैरा 3 के तहत पहचान के संबंध में, भाग लेने वाले अल्पविकसित देश, टैरिफ, पैरा-टैरिफ और गैर टैरिफ रियायतें और / या लंबी अवधि के संविदा सहित अन्य प्रत्यक्ष व्यापार उपायों के लिए अन्य प्रतिभागियों के लिए विशेष अनुरोध करते हैं।
5. अल्प विकसित भागीदार देशों से निर्यात के लिए रक्षा उपायों के अनुप्रयोग में विशेष ध्यान दिया जायेगा।
6. इन उत्पादों के संबंध में रियायतों की मांग में शामिल हो :
 - क) विशेष रूप से संसाधित और अर्द्ध संसाधित उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच,;
 - ख) गैर-शुल्क अवरोधों को दूर करना ;
 - ग) जहां उपयुक्त पैरा-टैरिफ बाधाओं को हटाना ;

घ) अल्प विकसित भागीदार देशों के उत्पादों के सतत निर्यात के उचित स्तर को प्राप्त करने में सहायता देने की दृष्टि से दीर्घकालीन संविदा की बातचीत ।

7. भागीदार, ऊपर पैरा 6 के तहत मांगी गई रियायतों के लिए अल्प विकसित भागीदार देशों के अनुरोध पर , जहाँ भी संभव हो, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, इस तरह के अनुरोध को पूरा करने के लिए पूरे या आंशिक रूप में, ठोस उपायों की एक अभिव्यक्ति के रूप में अल्प विकसित भागीदार देशों के पक्ष में सहमत हो जाना है।

अध्याय V

मूल सिद्धांत

अनुच्छेद -18

उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूह

इस समझौते में अधिसूचित और पंजीकृत मौजूदा विकासशील देशों के उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूहों के अंतर्गत लागू टैरिफ, पैरा-टैरिफ और गैर टैरिफ अधिमान्यताएं अपनी आवश्यक प्रतिष्ठा बनायी रखी जाएगी। और वहाँ इस तरह के समूहों का विस्तार करने के सदस्यों पर कोई दायित्व नहीं है, और न ही अन्य प्रतिभागियों के अधिकार में अधिमान्यताओं का लाभ प्राप्त किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधिमान्य समझौतों के लिए समान रूप से लागू होंगे, विकासशील देशों के उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूहों और विकासशील देशों के भविष्य के उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय समूहों को बनाने की दृष्टि से इस तरह अधिसूचित और विधिवत इस समझौते में दर्ज किया जाएगा । इसके अलावा, इन प्रावधानों के सभी टैरिफ, पैरा प्रशुल्क और गैर टैरिफ अधिमान्यताओं के बराबर उपाय लागू होंगे, भविष्य में इस तरह के उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या अंतर-क्षेत्रीय समूहों के अंतर्गत लागू हो सकता है।

अध्याय- VI

परामर्श और विवादों के निपटान

अनुच्छेद -19

परामर्श

1. प्रत्येक प्रतिभागी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इस समझौते के संचालन को प्रभावित किसी भी विषय के संबंध में दूसरे प्रतिभागी द्वारा बनाए इस तरह के अभ्यावेदन के संबंध में परामर्श के लिये पर्याप्त अवसर देंगे।
2. ऊपर पैरा 1 के तहत इस तरह के परामर्श के माध्यम से किसी विषय के बारे में एक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए संभव नहीं किया गया है, समिति, एक भागीदार के अनुरोध पर किसी भी भागीदार के साथ परामर्श कर सकते हैं।

अनुच्छेद -20

निरस्तीकरण या नुकसान

1. किसी भी प्रतिभागी को ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी दूसरे भागीदार की विफलता के परिणाम स्वरूप इस समझौते के अंतर्गत किसी भी दायित्व को निभाने के लिए या इस समझौते के संचालन के लिए प्रासंगिक किसी अन्य परिस्थिति के परिणाम स्वरूप , एक अन्य प्रतिभागी अपनी अनुसूची में सन्निहित एक रियायत के मूल्य को बदल दिया है या इस समझौते के तहत सीधे या परोक्ष रूप से एकत्रित लाभ निरस्त या भ्रष्ट किया जा रहा है, पूर्ववर्ती , इस मामले के संतोषजनक समायोजन करने की दृष्टि से, अन्य प्रतिभागियों को

लिखित प्रस्तुतियों या प्रस्ताव करना, जो इससे संबंधित मानते हैं, जो इस प्रकार से किए गए अभ्यावेदनों या प्रस्तावों के प्रति सहानुभूति से विचार करना होगा।

2. इस तरह परामर्श के लिए बने अभ्यावेदन या अनुरोध पर 90 दिनों के भीतर संबंधित भागीदारों के बीच कोई संतोषजनक समायोजन प्रभावित नहीं हुआ है तो संबंधित प्रतिभागियों के साथ परामर्श करते हुए, मामले समिति को भेजने की तारीख से 75 दिनों के भीतर उचित सिफारिशों के साथ समिति के पास भेजा जा सकता है। यदि सिफारिशें करने के 90 दिनों के भीतर अब भी कोई संतोषजनक समायोजन नहीं होता तो असंतुष्ट प्रतिभागी काफी हद तक बराबर रियायत के अनुप्रयोग निलंबित कर सकते हैं या जीएसटीपी की अन्य बाध्यताएं जो समिति अस्वीकृत नहीं करती।

अध्याय- VI

परामर्श और विवादों के निपटान

अनुच्छेद -21

विवादों का निपटारा

प्रतिभागियों के बीच इस समझौते की व्याख्या और प्रावधानों के अनुप्रयोग या इसकी रूपरेखा के भीतर अपनाए किसी भी साधन के बारे में उत्पन्न कोई भी विवाद इस समझौते के अनुच्छेद 19 के अनुरूप संबंधित पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौते के द्वारा तय किया जाएगा। एक विवाद को सुलझाने में विफलता की स्थिति में, विवाद के एक पक्ष द्वारा उसे समिति के पास भेजा जा सकता है। समिति इस मामले की समीक्षा करेगी और जिस तारीख को विवाद प्रस्तुत किया गया था उसके 120 दिनों के भीतर एक सिफारिश उस पर करेगी। समिति इस उद्देश्य के लिए उचित नियमों को अपनाएगी।

अध्याय VII

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद -22

कार्यान्वयन

प्रत्येक प्रतिभागी इस समझौते को लागू करने के लिए इस तरह के आवश्यक विधायी या अन्य उपाय लेगा और इसकी रूपरेखा के भीतर उपकरणों को अपनाएगा।

अनुच्छेद -23

निक्षेपागार

यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य की सरकार को इसके द्वारा इस समझौते के निक्षेपागार के रूप में नामित किया जाता है।

अनुच्छेद -24

हस्ताक्षर

यह समझौता, अनुच्छेद 26 के अनुसार 13 अप्रैल 1988 से लागू होने की तिथि तक बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।

अनुच्छेद -25

निश्चित हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन

अनुच्छेद 1 (क) और इस समझौते के अनुबंध- I में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभागी जिन्होंने रियायतों का आदान प्रदान किया है हो सकता:

- क) इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, घोषणा है कि इस तरह के हस्ताक्षर से इस समझौते से बंधे होने के लिए अपनी सहमति को अभिव्यक्त करता है (निश्चित हस्ताक्षर) : या ख) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, इस निक्षेपागार के साथ इस आशय के एक साधन जमा करके; उसकी संपुष्टि, स्वीकार या अनुमोदन :

अध्याय VII

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद -26

प्रभावित होना

- 1 यह समझौता इस करार के 77 के समूह के तीन क्षेत्रों से, अनुच्छेद 1 (क) और अनुबंध- I में संदर्भित 15 राज्य , जिन्होंने रियायतों का आदान प्रदान किया है, अनुच्छेद 25, पैराग्राफ (क) और (ख) के अनुसार निश्चित हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन के अपने उपकरणों जमा कर दिया है, के बाद, तीसवां दिन पर प्रभाव में आएगा ।
2. किसी भी राज्य के लिए जो निश्चित हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अवाप्ति या अनंतिम अनुप्रयोग की एक अधिसूचना का एक साधन जमा करता है, इस समझौते के लागू होने के लिए शर्तों को पूरा कर देने के बाद, यह इस तरह के जमा या अधिसूचना के बाद तीसवां दिन पर उस राज्य के लिए प्रभाव में आएगा।
3. इस समझौते के लागू होने पर समिति अनुच्छेद 25 में निर्दिष्ट राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के उपकरणों के जमा करने के लिए एक अंतिम तिथि निर्धारित करेगा। यह तिथि इस समझौते के लागू होने की तारीख से तीन साल के बाद की नहीं होगी ।

अनुच्छेद -27

अनंतिम अनुप्रयोग की अधिसूचना

एक हस्ताक्षरकर्ता, जो इस समझौते को पुष्टि, स्वीकार या अनुमोदन करने के लिए चाहता है, लेकिन जो अभी तक अपने साधन जमा करने में सक्षम नहीं रहा है, समझौते लागू होने के साठ दिनों के भीतर निक्षेपागार को सूचित करें कि यह इस समझौते को अनंतिम रूप से लागू करेगा । अनंतिम अनुप्रयोग दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद -28

अवाप्ति

इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस समझौते के प्रभाव में आने के छह महीने के बाद यह 77 के समूह के अन्य सदस्यों द्वारा अवाप्ति के लिए खुला रहेगा, जो इस समझौते में उपबंधित शर्तों के साथ पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए निम्न कार्यविधियाँ लागू होगी:

- क) आवेदक समिति में अवाप्ति के अपने इरादे को सूचित करेगा;
- ख) समिति प्रतिभागियों के बीच अधिसूचना परिचालित करेगी ;

- ग) आवेदक प्रतिभागियों के लिए एक प्रस्ताव सूची प्रस्तुत करेगा; भागीदार आवेदक एक अनुरोध सूची प्रस्तुत कर सकता है;
- घ) एक बार ऊपर (क), (ख) और (ग) के तहत प्रक्रिया पूरी की गई है, आवेदक रियायतों की अपनी सूची पर समझौते तक पहुँचने करने की दृष्टि से रुचि रखते प्रतिभागियों के साथ बातचीत में प्रवेश करेगा;
- ड) एक अल्प विकसित देश से अवाप्ति के लिए आवेदन पर अल्प विकसित देशों के विशेष व्यवहार के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद -29

संशोधन

1. किसी भी प्रतिभागी इस समझौते के लिए एक संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। एक संशोधन जिस तारीख को, अनुच्छेद 1 (क) में से दो-तिहाई प्रतिभागियों ने, उनकी स्वीकृति के निक्षेपागार अधिसूचित किए जाने के 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा।
2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रावधानों के बावजूद:
 - क) किसी भी संशोधन के विषय में;
 - i) सदस्यता की परिभाषा अनुच्छेद 1 (क) में निर्धारित की गई है;
 - ii) इस समझौते के लिए संशोधन की प्रक्रिया; इस समझौते के अनुच्छेद 1 (क) के अनुसार सभी प्रतिभागियों द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद प्रभाव में आएगा।
 - ख) संबंधित किसी भी संशोधन
 - i) अनुच्छेद 3 में निर्धारित सिद्धांत;
 - ii) मतैक्य और किसी भी अन्य उल्लिखित मतदान के आधार सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति के बाद प्रभाव में आएगा।

अध्याय VII

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद -30

आहरण

1. किसी भी प्रतिभागी इस समझौते के लागू होने के बाद किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इस तरह की वापसी, जिस दिन उसकी लिखित सूचना निक्षेपागार द्वारा प्राप्त होता है, उसके छह महीने के लिए प्रभावी होगा। यही भागीदार अपने द्वारा ली गई कार्रवाई की सूचना एक साथ समिति को देगा।
2. जिस भागीदार ने इस समझौते को वापस ले लिया है, उनके अधिकार और दायित्व आवेदन करने की तारीख से समाप्त हो जायेगा। उस तारीख के बाद, प्रतिभागी और वापस लेने वाले भागीदार संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे कि पूर्ववर्ती से परवर्ती द्वारा और उलटे क्रम में प्राप्त रियायतों की वापसी पूर्णतः या अंशतः रूप में हैं।

अनुच्छेद -31

आरक्षण

आरक्षण इस समझौते के किसी प्रावधानों के संबंध में बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वे इस समझौते के प्रयोजन और उद्देश्य के साथ असंगत नहीं हैं और प्रतिभागियों के बहुमत से स्वीकार किया जाता है।

अनुच्छेद-32-1 /

गैर आवेदन

1. अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत में दर्ज नहीं किया है तो भागीदारों के बीच जीएसटीपी लागू नहीं होगा, और उनमें से कोई, उस समय इस समझौते को स्वीकार करता है या तो ऐसे अनुप्रयोग की सहमति नहीं देता है।
2. समिति किसी भी प्रतिभागियों के अनुरोध पर विशेष मामलों में इस अनुच्छेद के प्रचालन की समीक्षा कर सकती है और उचित सिफारिशें कर सकती है ।

अनुच्छेद -33

सुरक्षा अपवाद

अनिवार्य सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे किसी भी कार्रवाई लेने से किसी भी प्रतिभागी को रोकने के लिए इस समझौते में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा ।

1. यह अनुच्छेद केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता और समिति को अधिसूचित किया जा सकता ।

अनुच्छेद -34

अनुबंध

1. यह अनुबंध इस समझौते का अभिन्न अंग है और इस समझौते का एक संदर्भ या उसके अध्यायों में से एक में उससे संबंधित अनुबंधों के संदर्भ भी शामिल है।
2. इस समझौते के अनुबंधों में होगा : :
 - क) अनुबंध -1 - समझौते में प्रतिभागी
 - ख) अनुबंध II - मूलस्थान के नियम
 - ग) अनुबंध III - अल्प विकसित देशों के पक्ष में अतिरिक्त उपाय
 - घ) अनुबंध IV - रियायतों की अनुसूचियाँ

बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में अप्रैल के तेरहवें दिन, पर एक हजार नौ सौ अठ्ठासी में किया गया, इस समझौते का मूल पाठ अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, और स्पेनिश भाषा में समान रूप से प्रामाणिक है।

जिसको साक्षी मानकर, अधोहस्ताक्षरी से, विधिवत अधिकृत किया जा रहा, साथ ही संकेत दी तारीखों पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध I - समझौते पर प्रतिभागियाँ

Annex-I Participants on the Agreement

एलजीरिया

अंगोला

अर्जेंटीना

बांग्लादेश

मेक्सिको

मोरक्को

मोजाम्बिक

निकारागुआ

बेनिन	नाइजीरिया
बोलीविया	पाकिस्तान
ब्राजील	पेरू
कैमरून	फिलीपींस
चिली	खतर
कोलम्बिया	कोरिया गणराज्य
क्यूबा	रूमनिया
कोरिया प्रजातांत्रिक जनवादी गणराज्य	सिंगापुर
इक्वेडोर	श्री लंका
मिस्र	सूडान
घाना	थाईलैंड
गिनीआ	त्रिनिदाद और टोबैगो
गुयाना	ट्यूनीशिया
हैती	तंजानिया के संयुक्त गणराज्य
भारत	उरुग्वे
इंडोनेशिया	वेनेजुएला
ईरान (इस्लामी गणराज्य)	वियतनाम
इराक	यूगोस्लाविया
लीबिया	ज़ैरे
मलेशिया	जिम्बाब्वे

अनुबंध II

मूल स्थान के नियम

जीएसटीपी के तहत अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पादों के मूल स्थान के निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ (क) और (ख) और अनुच्छेद 15 के आलोक में जीएसटीपी के समझौते के निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे :

नियम-1: मूल उत्पाद - जीएसटीपी के ढांचे के भीतर अधिमान्य राज्यक्षेत्र व्यवस्थाओं के अंतर्गत समाविष्ट उत्पाद किसी दूसरे भागीदार से एक भागीदार के क्षेत्र में आयात नियम 5 के अर्थ के भीतर जो सीधे परेषित किया जाता है, अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे अगर वे निम्न में से किसी एक के तहत मूल स्थान आवश्यकता के अनुरूप हो :

- क) उत्पाद नियम 2 में परिभाषित निर्यात भागीदार देश में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त; या
- ख) उत्पाद निर्यात भागीदार देश में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं किया, बशर्ते कि उक्त उत्पाद नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र हैं।

नियम -2: पूर्ण उत्पादित या प्राप्त किया: नियम 1(क) के अंतर्गत के अर्थ में या निम्नलिखित निर्यात भागीदार देश में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त के रूप में माना जाएगा :

- क) कच्चे या खनिज उत्पाद अपनी धरती, अपने पानी या उसके समुद्र तल
- ख) वहाँ काटा कृषि उत्पादों से निकाले गए; 2 /
- ग) वहाँ जन्मे और बढ़ाए हुए पशु;
- घ) ऊपर पैरा (ग) में संदर्भित जानवरों से प्राप्त उत्पाद;
- ङ) वहाँ आयोजित शिकार या मत्स्यन द्वारा प्राप्त उत्पाद ;
- च) समुद्री मत्स्यन और अन्य समुद्री उत्पाद जो अपने जहाजों द्वारा गहरे समुद्र से प्राप्त उत्पाद: 3/4 / छ) प्रसंस्कृत उत्पाद और / या अपनी फैक्टरी जहाजों के बोर्ड पर बनाए गए 4/5 / विशेष रूप से ऊपर पैराग्राफ (च) में निर्दिष्ट उत्पाद;

- ज) वहाँ एकत्र इस्तेमाल की गई सामग्री, केवल कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति के लिये योग्य ;
- झ) वहाँ आयोजित निर्माण कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट और रद्दी माल ;
- ञ) वहाँ उत्पादित सामान के विशेष रूप से ऊपर पैरा (क) से (झ) तक निर्दिष्ट उत्पाद ।

नियम 3: पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं है

- क) नियम 1 (ख)के अर्थ के भीतर, काम किए या प्रसंस्कृत उत्पादों पर गैर प्रतिभागियों से उद्भव या अनिर्धारित मूल के इस्तेमाल की सामग्री, भाग या उत्पाद, गैर प्रतिभागियों से या अनिर्धारित मूल के उद्भव के इस्तेमाल किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादित या प्राप्त उत्पाद का कुल मूल्य एफओबी मूल्य के 50% से अधिक नहीं है और निर्माण की अंतिम प्रक्रिया निर्यात भागीदार के राज्यक्षेत्र के भीतर किया जाता है, नियम 3 (सी) और नियम 4 के प्रावधानों के अधीन अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- ख) क्षेत्रीय समझौते 6 /
- ग) गैर-उद्भव उत्पाद , उत्पादन के कुछ हिस्सों के मूल्य होगा :
- i) सामग्री, भागों या उत्पाद के आयात के समय सी 1 एफ मूल्य जहां यह सिद्ध किया जा सकता है; या
- ii) भागीदार के क्षेत्र में अनिर्धारित मूल, जहां काम या प्रसंस्करण होता है, की सामग्री, भागों या उत्पादन के लिए भुगतान किए गए जल्द से जल्द निर्धारित मूल्य

अनुबंध II

मूल स्थान के नियम

नियम-4: मूल के संचयी नियम – उत्पाद जो नियम 1 में प्रदान की मूल आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, और दूसरे भागीदार द्वारा अधिमान्य के लिए पात्र एक तैयार उत्पाद के लिए एक प्रतिभागी द्वारा आदान के रूप में उपयोग किया जाता है , जहां तैयार उत्पाद के काम या प्रसंस्करण कर लिया है भागीदार के क्षेत्र में उत्भूत उत्पाद माना जाएगा, बशर्ते कि कुल सामग्री भागीदार के क्षेत्र में उद्भूत के एफओबी मूल्य के 60% से कम नहीं है। 7 /

नियम-5: प्रत्यक्ष परेक्षण – निम्नलिखित, आयात भागीदार के निर्यात भागीदार से सीधे परेक्षित के रूप में विचार किया जाएगा :

- क) किसी भी गैर भागीदार क्षेत्र के माध्यम से गुजरे बिना उत्पादों का अपवाहन किया जाता है, तो :
- ख) उत्पाद जिसका परिवहन पारगमन एक या एक से अधिक मध्यवर्ती गैर प्रतिभागियों के माध्यम से ऐसे देशों में पोतान्तरण या अस्थायी भंडारण के साथ या के बिना शामिल है, बशर्ते कि:
- i) पारगमन प्रविष्टि भौगोलिक कारण या परिवहन की आवश्यकता के लिए विशेष रूप से संबंधित हितों से जायज़ है :
- ii) वहाँ उत्पाद व्यापार या की खपत में दर्ज नहीं किया है ; तथा
- iii) उत्पाद उतराई और पुनः लोडिंग या अच्छी हालत में रखने के लिए जरूरी अन्य किसी भी प्रचालन के अलावा वहाँ अन्य कोई प्रचालन के अधीन नहीं आया है ।

नियम-6: पैकिंग निपटारा – जब उत्पादों की उत्पत्ति का निर्धारण करने, पैकिंग में समाविष्ट उत्पाद के साथ पूरे गठन, को पैकिंग के रूप में मान जाना चाहिए, हालांकि, अगर राष्ट्रीय कानून अपेक्षा करता है तो पैकिंग अलग से मान लिया जा सकता है

नियम 7: मूल स्थान प्रमाण पत्र - प्रतिभागियों द्वारा विकसित और अनुमोदित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अनुसार अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र उत्पाद निर्यात भागीदार की सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी

द्वारा जारी किए गए मूल स्थान प्रमाण पत्र 8/ द्वारा समर्थित / और अन्य प्रतिभागियों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

नियम 8 (क) किसी भी प्रतिभागी जीएसटीपी पर समझौते के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 15 के पैराग्राफ (क) और (ख) और राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप आर्थिक वाणिज्यिक संबंध न रहने वाले राज्यों में उत्भूत किसी भी आदान समाहित पान उत्पादों का निषेध कर सकते हैं।

(ख) मूल स्थान प्रमाण पत्र में आदानों के मूल स्थान निर्दिष्ट करने के लिए प्रतिभागी अपने सहयोग देने की पूरी कोशिश करेंगे।

नियम-9: समीक्षा - जब प्रतिभागियों की एक तिहाई के अनुरोध पर आवश्यक हो तो इन नियमों की समीक्षा की जा सकती है और सहमत होने पर इस तरह के संशोधन के लिए खुला हो सकता है।

अनुबंध II

मूल स्थान के नियम

नियम-10: विशेष मानदंड प्रतिशत - अल्प विकसित भागीदार देशों में उत्भूत उत्पाद के लिए नियम 3 और 4 में स्थापित प्रतिशत का प्रयोग करते हुए प्रतिशत में एक अनुकूल अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, नियम 3 के लिए, प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और नियम 4 के लिए, प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

- 1/ खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ ही खनिज या धातु अयस्कों को शामिल करें।
- 2/ वानिकी उत्पाद शामिल हैं।
- 3/ "जहाज़" - एक भागीदार के देश में पंजीकृत, एक नागरिक या नागरिकों या प्रतिभागियों की सरकार विधिवत ऐसे प्रतिभागियों के देश में पंजीकृत साझेदारी, निगम या संघ द्वारा संचालित वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाज़ों का उल्लेख होगा। जिनमें से इक्विटी के कम से कम 60 प्रतिशत नागरिक या नागरिकों और / या सरकार इस तरह के भागीदारी करना या 75 प्रतिशत नागरिकों एवं / प्रतिभागियों की सरकारों के स्वामित्व में हो। हालांकि द्विपक्षीय समझौतों के तहत वाणिज्यिक मत्स्यन से जहाज़ों से लिए उत्पाद / जो चार्टरिंग / इस तरह पट्टे पर लिए जहाज़ों और / या प्रतिभागियों के बीच पकड़ के बंटवारे से लिए उत्पाद भी अधिमान्य रियायतों के लिए पात्र होंगे।
- 4/ वाहिकाओं या फैक्टरी जहाज़ों सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित के संबंध में, एक प्रतिभागी का झंडा उड़ाने की आवश्यकता लागू नहीं होता।
- 5/ इस समझौते के उद्देश्य के लिए, "फैक्टरी जहाज" शब्द का अर्थ है किसी भी जहाज, प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल के रूप में परिभाषित किया गया है, और / या ऊपर के पैराग्राफ (च) में निर्दिष्ट उन उत्पादों से विशेष रूप से बोर्ड उत्पादों से है।
- 6/ जीएसटीपी के तहत बातचीत के जरिए क्षेत्रीय समझौते की रूपरेखा के भीतर कारोबार उत्पादों के संबंध में प्रावधान विशेष मानदंड लागू करने के लिए किए जाने की जरूरत हो सकती है। जब क्षेत्रीय समझौतों पर बातचीत की जाती है तब इन मानदंडों पर विचार किया जा सकता है।
- 7/ ऊपर के नियम 4 द्वारा निहित "आंशिक" संचयन का मतलब है कि केवल वही उत्पाद को ध्यान में रखा जा सकता है जिसने एक भागीदार के क्षेत्र स्थिति का अधिग्रहण किया है, तैयार उत्पाद के लिए आदानों के रूप में इस्तेमाल किया एक अन्य प्रतिभागी के क्षेत्र में अधिमान्य लाभ के लिए पात्र है।

- 8/ मूल स्थान का एक मानक प्रमाण पत्र सभी प्रतिभागियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए संलग्न है।**
1. (निर्यातक के व्यापार नाम, पता, देश) से परेषित उत्पाद
 2. (परेषिती का नाम, पता, देश) को परेषित उत्पाद

संदर्भ संख्या

मूल स्थान व्यापार अधिमान्यताओं के प्रमाण पत्र की वैश्विक प्रणाली।

- (संयुक्त घोषणा और प्रमाण पत्र)..... में जारी (देश)
- पृष्ठ की दूसरी ओर के नोट देखें
1. परिवहन और मार्ग के साधन (जहाँ तक ज्ञात है)
 2. सरकारी उपयोग के लिए
 3. प्रशुल्क उत्पाद संख्या
 4. निशान और पैकेजों की संख्या
 5. पैकेज का प्रकार और संख्या, उत्पाद का विवरण
 6. उद्गम मानदण्ड (दूसरे पृष्ठ के नोट्स देखें)
 7. सकल वजन या अन्य मात्रा
 8. बीजक संख्या और दिनांक
 9. निर्यातक द्वारा घोषणा
अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा घोषणा करता है कि उपरोक्त विवरण और बयान सही हैं कि सभी पदार्थों का उत्पादन (देश) में किया गया और वे.....
..... (आयातक देश) में उत्पाद को निर्यात करने के लिए
व्यापार अधिमान्यता की वैश्विक प्रणाली में उन उत्पादों के लिए निर्दिष्ट मूल आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
स्थान और तिथि,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
 10. प्रमाणपत्र : इसके द्वारा प्रमाणित है कि यह किए गए नियंत्रण के आधार पर निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।

.....

..... स्थान और तारीख, प्राधिकार को प्रमाणित करने के हस्ताक्षर और की मोहर

I : सामान्य शर्त

अधिमान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पादों को करना होगा:

- (क) गंतव्य स्थान के जी एस टी.पी. देश के रियायतों की अनुसूची में अधिमान्यता के लिए पात्र उत्पादों के उल्लेख में समाविष्ट;
- (ख) मूलस्थान के जीएसटीपी नियमों का पालन। एक परेषण के प्रत्येक साधन अपने आप में अलग से योग्य होना चाहिए; तथा
- (ग) मूलस्थान के जीएसटीपी नियमों द्वारा निर्दिष्ट परेषण स्थिति का अनुपालन। सामान्य में, गंतव्य स्थान के देश के लिए निर्यातक देश से उत्पादों को सीधे नियम 5 के अर्थ के अनुकूल भेजा जाना चाहिए ।

II : बॉक्स 8 में किए जाने के लिए प्रविष्टियां

मूलस्थान के जीएसटीपी नियमावली के नियम 2 के अनुसार, अधिमान्यता उत्पाद पूर्ण रूप से उत्पादन किया निर्यात भागीदार में उत्पादित या प्राप्त हो जाना चाहिए, या जहां पूरी तरह से निर्यात प्रतिभागियों में उत्पादित या प्राप्त नहीं किया तो नियम 3 या नियम 4 के तहत पात्र होना चाहिए।

(क) उत्पाद पूरी तरह उत्पादित या प्राप्त: बॉक्स 8 में अक्षर 'ए' दर्ज करें ।

(ख) उत्पाद पूरी तरह उत्पादित या प्राप्त नहीं किया: बॉक्स 8 में प्रविष्टि निम्नानुसार होनी चाहिए:

1. नियम 3 के अनुसार मूल मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए, बॉक्स 8 में अक्षर "बी" दर्ज करें। अक्षर 'बी' की प्रविष्टि के बाद सामग्री के मूल्य का योग, इस्तेमाल किए अनिर्धारित मूल, निर्यातित उत्पादों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा ; (उदाहरण 'बी' 50 प्रतिशत)।

2. नियम 4 के अनुसार उत्पाद जो मूल मानदंडों को पूरा करते हैं, के लिए बॉक्स 8 में अक्षर "सी" दर्ज करें । अक्षर "सी" की प्रविष्टि के बाद निर्यात भागीदार के क्षेत्र में उद्धव कुल सामग्री के योग निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य का एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें ; (उदाहरण "सी" 60 फीसदी)

3. उत्पाद जो नियम 10 के अनुसार विशेष मूल मानदंडों को पूरा करने पर बॉक्स 8 में अक्षर 'डी' दर्ज करें।